हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 28 फरवरी, 2017 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :–

i) लोक लेखा समिति ;
ii) प्राक्कलन समिति ;
iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति ; तथा
iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2017–2018 के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017–2018 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामज़द करें।

III. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

(i) डा0 अभय सिंह यादव, एम.एल.ए. प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए :–

'कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 27 फरवरी, 2017 को 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् सदन में देने की कृपा की है।''।

(ii) डा0 पवन सैनी, एम.एल.ए. उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

चण्डीगढ़
27 फरवरी, 2017

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।